

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-अजमेर/एफ.00762/2024/364 दिनांक : 16-03-24

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दि० 30.10.2017 एवं 9.12.2017 एवं एफ.15(88) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.22 में उपलब्ध प्रावधानानुसार के अनुसार निम्नलिखित कार्मिको को राज्य सेवा में 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर उनके नामो के सम्मुख अंकितानुसार ए.सी.पी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	पे मेट्रिक्स लेवल
1.	श्री जितेन्द्र जॉन ऑर, वरिष्ठ सहायक	अति० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) अजमेर।	15.01.2005	18 वर्ष	15.01.2023	एल-10

उपरोक्त कार्मिको का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-अजमेर/एफ.00762/2024/364 दिनांक : 16-05-24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
2. अति० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) अजमेर।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री जितेन्द्र जॉन ऑर, वरिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7056632

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :15-05-2024 05:15:12